भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **2337**
दिनांक 0**8** जुलाई, 2019

घरेलू एलपीजी सलेंडरों का दुरुपयोग

2337. श्री एस.आर. पा र्थबनः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या यह सच है क घरेलू एलपीजी सलेंडरों का व्यावसायिक प्रयोजनों के लए दुरुपयोग कया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दो षयों के खलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार ने इस दुरुपयोग को रोकने के लए क्या कदम उठाए हैं और वास्त वक उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार एलपीजी सलेंडरों की अपूर्ति करके उनकी रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है क कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पंजीकृत ग्राहकों के नाम से एलपीजी री फलों की आपूर्ति अनपे क्षत प्रयोक्ताओं को कए जाने की संभावनाओं को समाप्त नहीं कया जा सकता। जब कभी, इस प्रकार की शकायतें प्राप्त होती हैं तो ओएमसीज द्वारा उनकी जांच की जाती है। डस्ट्रीब्यूटरों और उनके स्टॉफ द्वारा की गई अनिय मतताओं के सभी सद्ध मामलों में, वपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एमडीजी)/डस्ट्रीब्यूटर शप करार के प्रावधानों के अनुसार संबं धत डस्ट्रीब्यूटरों के वरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

ओएमसीज डस्ट्रीब्यूटरों के परिसरों का औचक निरीक्षण करती हैं, री फल की जांच करती हैं, ग्राहक के घर पर औचक जांच करती हैं, सुपुर्दगी वाहनों आदि की मार्गस्थ जांच करती हैं ता क घरेलू एलपीजी के वपथन को रोका जा सके।

*****